भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 5632

दिनांक 27 मार्च, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

पश्चिम बंगाल में चिकित्सीय लापरवाही

†5632. श्री सौमित्र खानः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास विगत दस वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य में चिकित्सकीय लापरवाही के कारण लोगों की जान जाने और अन्य शारीरिक अक्षमताओं/विकारों के संबंध में दर्ज किए गए कुल मामलों की संख्या के संबंध में आंकड़े उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त राज्य में दायर किए गए चिकित्सीय लापरवाही के मामलों के संबंध में आंकड़ों के संग्रहण और रख-रखाव के लिए कोई केन्द्रीकृत तंत्र है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त राज्य में ऐसे मामलों पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया को शासित करने वाले मौजूदा नियमों, विनियमों और दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने उक्त राज्य में चिकित्सीय लापरवाही की घटनाओं से निपटने के लिए कोई सख्त दिशा-निर्देश बनाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ङ): राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 राज्य चिकित्सा परिषद (एसएमसी)/नैतिकता एवं चिकित्सा रजिस्ट्रीकरण बोर्ड (ईएमआरबी) को अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा किए गए किसी भी पेशेवर या नैतिक दुर्व्यवहार के संबंध में अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार देता है। तदनुसार, एनएमसी शिकायत को उचित कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य स्वास्थ्य विभागों और एसएमसी को अग्रेषित करता है।

इस अधिनियम में आरएमपी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से पहले उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है। एसएमसी/ईएमआरबी के निर्णय के विरुद्ध अपील करने का प्रावधान भी किया गया है।

इसके अतिरिक्त, बंगाल चिकित्सा अधिनियम, 1914 की धारा 33 की उपधारा (2) के खंड (घ)(i) के अंतर्गत बनाए गए नियम पश्चिम बंगाल चिकित्सा परिषद (डब्ल्यूबीएमसी) की शिकायत मामलों में जांच के कार्य संचालन से संबंधित हैं। साथ ही, डब्ल्यूबीएमसी ने सूचित किया है कि 2016 से अब तक चिकित्सीय लापरवाही की कुल 849 शिकायतें प्राप्त/रिपोर्ट की गई हैं।
